बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं0सं0–9/कोर्ट–10–10/2018

अधिसूचना

डा0 नन्द किशोर नवल तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी कुष्ट नियंत्रण इकाई गया को एम0 एस0 डी0 कोलकता से अनियमित रूप से दवा/रसायन क्रय के अनियमितता के आरोप संकल्प सं0 736(9) दिनांक 21.05.05 विभागीय कार्यवाही संचालित की गई एवं नियमानुकुल कार्रवाई करते हुए विभागीय संकल्प सं0 1546(9) दिनांक 22.12.08 द्वारा इन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

2. डा0 नन्द किशोर नवल द्वारा उपर्युक्त दण्डादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 17873/2009 दायर किया गया जिसमें दिनांक 17.07.2013 को पारित किया गया जिसका कार्यशील अंश निम्नवत है:–

"Accordingly, this writ application succeeds. The impugned order of punishment is quashed as set aside. The petitioner would be entitled for all his consequential benefits. However, if the petitioner has already attained the age of superannuation, in such case there would be no question of his reinstatement in service, however, he would be entitled for all the consequential benefits including the salary etc. to be calculated from the date of his suspension till the date fo his superannuation beyond the amount of subsistence allowance which has already been paid to him, which should be paid to him after necessary calculation within a period of three months from the date receipt/production of a certified copy of this order."

3. उपर्युक्त न्यायादेश के विरूद्ध सरकार की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय में एल0 पी0 ए0 सं0 1582/2017 दायर किया गया जिसमें दिनांक 22.03.2018 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यशील अंश निम्नवत है:–

"Since nothing fo this kind seems to have emerged to have been followed in the present case, the learned Single Judge rightly came to a conclusion that initiation of a departmental proceeding after more that 12 to 13 years of the so called event, had cuased serious prejudice to the private-respondent, coupled with the fact that no proper departmental enquiry was held or conducted and only a begotten kind of enquiry report was used for issuance of punishment of dismissal. The Court was left with no option but to allow the writ application and quash the order of punishment of dismissal.

Since none of these aspects have been seriously contested or disproved as to the finding, both on the factual aspect as well as the principle of law on behalf of State during the course of argument, we do not feel that a case is made

out for interfering with the impugned order passed by the Learned Single Judge, dated 17.07.2013.

The appeal, therefore, has no merit and is fit to be dismissed. It is dismissed, accordingly."

4. सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 17873/2009 में दिनांक 17.07.2013 को परित न्यायादेश (उपर्युक्त कंडिका–3) के अनुपालन के लिए वादी (डा0 नंद किशोर नवल) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में एम0 जे0 सी0 सं0 2339/2014 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 09.5.19 को पारित न्यायादेश इस प्रकार है:–

"Learned counsel for the opposite parties seeks six weeks time to show compliance of the writ Court dated 17.07-2013, subject to final result of any appeal as may have been filed before the Hon'ble Apex Court on 20.06.2019 to enable the opposite parties to show full compliance of the order of the writ Court."

5. उपर्युक्त न्यायादेश के आलोक में डा0 नंद किशोर नवल के तत्काल सेवा में पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। जो विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विभाग द्वारा दायर एस0 एल0 पी0 सं0 ..../2019 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम डा0 नंद किशोर नवल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायनिर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा।

6. अतः सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 17873/2009 में दिनांक 17.07.13 को पारित न्यायादेश, एल0 पी0 ए0 सं0 1582/2014 में दिनांक 22.03.18 को पारित न्यायादेश एवं एम0 जे0 सी0 सं0 2339/2014 में दिनांक 09.05.19 में पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु डा0 नन्द किशोर नवल तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, कुष्ट नियंत्रण इकाई गया को विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस0 एल0 पी0 सं0 ..../2019 के फलाफल के शर्त पर बर्खास्त करने संबंधी संकल्प सं0 1546(9) दिनांक 22.12.08 को निरस्त करते हुए सेवा में पुर्नस्थापित किया जाता है। डा0 नवल को निदेश दिया जाता है कि वे अविलम्ब विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: 767(9) /स्वा0, पटना , दिनांक: 17/7/2019

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले एवं0 ह0) बिहार पटना / प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मगध प्रमंडल गया/सिविल सर्जन गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 नन्द किशोर नवल तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी कुष्ट नियंत्रण इकाई गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

17/10/2017.

सरकार के अवर सचिव